मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १८ सन् २०१९

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, २०१९

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

धारा ४ संशोधन.

२. नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ (क्रमांक १६ सन् २००९) की धारा ४ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१) नियत दिन को तथा से पशु चिकित्सा और मत्स्य पालन विज्ञान में शिक्षा देने वाला नवीन शासकीय या अशासकीय महाविद्यालय स्थापित किया जा सकेगा.".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

पशु चिकित्सा और मत्स्य पालन विज्ञान में शिक्षा देने वाले नवीन शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों की स्थापना के लिए अनुज्ञा का उपबंध करना वांछनीय है. अतएव, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ (क्रमांक १६ सन् २००९) की धारा ४ में यथोचित रूप से संशोधन करना प्रस्तावित है.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : ८ जुलाई, २०१९.

लाखन सिंह यादव
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ (क्रमांक १६ का २००९) से उद्धरण.

*   *   *   *   *

धारा ४. (१) नियत दिन को तथा से पशु चिकित्सा और मत्स्य पालन विज्ञान में शिक्षा देने वाला कोई नया महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के संघटक महाविद्यालय के सिवाए, स्थापित नहीं किया जाएगा.

*   *   *   *   *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.